



मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

//आदेश//

भोपाल दिनांक 13-08-2025

क्रमांक F-1/1/4/0018/2025-sec-1-10:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 17.06.2025 द्वारा श्री सर्वेश सोनी, वनक्षेत्रपाल को परिक्षेत्र अधिकारी केसली, सामान्य वनमंडल दक्षिण सागर से परिक्षेत्र अधिकारी राहतगढ़ सामान्य वनमंडल दक्षिण सागर पदस्थ किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध श्री सर्वेश सोनी द्वारा मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्र/W.P./22341/2025 में मान. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.06.2025 में निम्न निर्देश दिये गये:-

.... In view of the aforesaid, without expressing any opinion on merits of the case, the present petition stands disposed of, with the direction to the respondent no.3, to consider and decide the representation (Annexure-P-9) so submitted by the petitioner within a period of 30 days from today by passing a well reasoned and speaking order in accordance with law.

For a period of 30 days or till the decision by the respondent No.3 on the representation (whichever is earlier), the petitioner shall be allowed to continue at his present place of posting.\\

2/ उक्त के अनुक्रम में श्री सर्वेश सोनी, वनक्षेत्रपाल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 01.07.2025 में मुख्यतः लेख किया गया है कि उनका विगत 4 वर्षों में 4 बार स्थानांतरण किया गया है। उनके विरुद्ध किसी प्रकार की विभागीय जांच या संगीन शिकायत प्रचलित नहीं है। उनकी पत्नी वर्तमान में गर्भवती है एवं बार-बार स्थानांतरण के कारण प्रार्थी की पत्नी का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है तथा स्थल परिवर्तन हेतु परिपक्व नहीं है। अतः उक्त स्थानांतरण निरस्त करने अथवा स्थानांतरण में संशोधन करने का अनुरोध है।

राज्य शासन एतद्वारा पूर्ण विचारोपरान्त आदेश दिनांक 17/06/2025 द्वारा श्री सर्वेश सोनी, वनक्षेत्रपाल, परिक्षेत्र अधिकारी केसली, सामान्य वनमंडल दक्षिण सागर से परिक्षेत्र अधिकारी राहतगढ़, सामान्य वनमंडल दक्षिण सागर किये गये स्थानांतरण में संशोधन कर वन परिक्षेत्र शाहतगढ़, सामान्य वनमंडल उत्तर सागर में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

Digitally signed by

Rajbendra Mishra

Date: 13-08-2025

EX OFFICIO DEPUTY
12:15:44
SECRETARY





मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ.क्रमांक F-1/1/4/0018/2025-sec-1-10, भोपाल दिनांक 13-08-2025

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
 2. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन वन विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-11) वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना एवं प्रौद्यो.) वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
 6. संबंधित मुख्य वन संरक्षक एवं वनमंडलाधिकारी मध्यप्रदेश।
 7. संबंधित द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-11) मध्यप्रदेश, भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

EX OFFICIO DEPUTY
SECRETARY

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

ई-मेल सम्प्रेषण

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख

वन भवन, "ए" ब्लॉक द्वितीय तल, तुलसी नगर, मध्यप्रदेश भोपाल

(Email-id:-apccfng@mp.gov.in)

पृ.क्रमांक/प्रशा-11/स्था.3/वक्षे कक्ष/ 4456

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2025

प्रतिलिपि:

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना एवं प्रौद्योगिकी) वन भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित है। कृपया विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।
2. मुख्य वन संरक्षक, सागर वनवृत्त सागर म.प्र.
3. वनमण्डलाधिकारी सा. वनमण्डल दक्षिण/उत्तर सागर की ओर म.प्र.शासन वन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1/1/4/0018/2025-sec-1-10 दिनांक 13.8.2025 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. श्री सर्वेश सोनी, वनक्षेत्रपाल द्वारा वनमण्डलाधिकारी सा. वनमण्डल दक्षिण सागर के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(कमलिका मोहंता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(प्रशा-11)

म.प्र. भोपाल